



प्रेस विज्ञप्ति

19.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने मेसर्स मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, चंदर भूषण सिंह और प्रियंका सिंह द्वारा बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.09.2025 को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली (बिहार) और देहरादून स्थित कई परिसरों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ जनता के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि आरोपियों ने एक धोखाधड़ी वाली मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना चलाई, जिसमें आम जनता को उच्च मासिक रिटर्न और आकर्षक रेफरल लाभों का लालच दिया गया। इस कार्यप्रणाली के माध्यम से, उन्होंने कम से कम 21 बैंक खातों में 521 करोड़ रुपये से अधिक की अनधिकृत जमा राशि एकत्र की, जिससे भारी मात्रा में आपराधिक आय (पीओसी) अर्जित हुई।

यह भी पता चला कि आरोपी निदेशक, चंदर भूषण सिंह और प्रियंका सिंह, बाद में सरकारी धन लेकर फरार हो गए। पिछले तीन सालों से, वे जानबूझकर झारखंड, राजस्थान और असम पुलिस सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते रहे हैं। जाँच से पता चलता है कि आरोपियों ने बेनामी लेन-देन के ज़रिए कई अचल संपत्तियाँ हासिल करके और जमा राशि को नकदी में बदलकर अवैध धन का शोधन किया। अपनी पहचान छिपाने और गिरफ्तारी से बचने के लिए, अपराधी फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करते पाए गए, जिनमें एक छद्म नाम 'दीपक सिंह' भी शामिल था, और वे बार-बार अपना ठिकाना बदलते रहे।

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में अपराध-संकेती सबूत बरामद और ज़ब्त किए। प्रमुख बरामदगी में फर्जी पहचान पत्र, महत्वपूर्ण वित्तीय लेन-देन और नकदी लेनदेन का विवरण देने वाली हस्तलिखित नोट और डायरियाँ, सहयोगियों के विवरण, विभिन्न संस्थाओं की चेकबुक, लैपटॉप और मोबाइल फोन के रूप में डिजिटल साक्ष्य, और बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़ और समझौते शामिल हैं। ऐसे सबूत भी मिले हैं जो दर्शाते हैं कि आरोपी इसी तरह की धोखाधड़ी वाली योजनाएँ चलाते रहे थे।

आगे की जांच जारी है।